उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 —769/2024

विनोद कुमार पाठक...........................वादी।

बनाम्

श्रीराम पाठक वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

30.01.2026 उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 03.12.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 03 विजयानंद पाठक की मृत्यु दिनांक 03.10.2025 को हो चुकी है इनके कानूनी वारीसान मु0 सुमित्रा, रोहित कुमार उर्फ दीपक, चंदन कुमार नाम पर प्रतिस्थापित करने तथा मृत प्रतिवादी सं0 03 विजयानंद पाठक का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किये है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किये है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 03.12.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत प्रतिवादी सं0 03 विजयानंद पाठक का नाम कलमजद करते हुए प्रतिवादी सं0 03 विजयानंद पाठक के वारीसान मु0 सुमित्रा, रोहित कुमार उर्फ दीपक, चंदन कुमार का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक— 17.02.2026 वास्ते शेष उपस्थिति/आपेक्षिकांए दाखिल हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)